

प्रेस नोट दिनांक 18.12.2024

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

□ थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा एक ट्रक से कुल 31 राशि गोवंश बरामद करते हुए 02 शातिर गोतस्कर को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लाग्हे द्वारा जनपद में गोवंशों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराध में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली, विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पं.दी.द.उ.नगर, आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमा मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान 01 ट्रक से 31 राशि गोवंश बरामद करते हुए 02 शातिर गोतस्करों को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 17.12.2024 को समय करीब 14.00 बजे NH-19 हाईवे पर स्थित सिंधीताली पुल पर सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस की सक्रियता व चेकिंग को देखकर एक कन्टेनर ट्रक वाहन संख्या UP21CN4064 को बीच रोड पर ही खड़ा करके वाहन में सवार वाहन चालक और खलासी मौके से भागने के फिराक में ही थे कि मौजूदा पुलिस बल को संदिग्धता प्रतीत होने पर ट्रक की घेराबन्दी करके 02 अभियुक्तों गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो चालक ने अपना नाम शरीफ पुत्र फज्जे अहमद निवासी नरखेडा थाना मुण्डा पाण्डेय जनपद मुरादाबाद तथा खलासी ने अपना नाम सानूर खान पुत्र फिरोज खान निवासी बाबरपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया बताया तथा भीड का फायदा उठाकर एक अभियुक्त मौके से भाग गया।

कन्टेनर ट्रक संख्या UP21CN4064 को सड़क के किनारे करवाकर चेक किया गया तो ट्रक में कुल 31 राशि जिन्दा गोवंश जिनको क्रूरता पूर्वक बांधकर वध हेतु बिहार के रास्ते पण्डुआ पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे।

गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 343/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस द्वारा फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

शरीफ पुत्र फज्जे अहमद निवासी नरखेडा थाना मुण्डा पाण्डेय जनपद मुरादाबाद (चालक)
सानूर खान पुत्र फिरोज खान निवासी बाबरपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया(खलासी)

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त –

1-अभियुक्त शरीफ पुत्र फज्जे अहमद-

1-मु.अ.स. 037/2013 धारा 3/5A/5B 8, गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 120(B) भादवि थाना रज्जाबपुर जनपद अमरोहा।

2-अभियुक्त सानूर खान पुत्र फिरोज खान-

1-मु.अ.सं. 0441/2017 धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 307 भादवि थाना औराई जनपद भदोही

पंजीकृत अभियोग-

मु.अ.सं 343/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

गिरफ्तारी / बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान –

दिनांक - 17.12.2024

समय - 14.00 बजे

स्थान – NH-19 सिंधीताली पुल बिहार जाने वाली लेन पर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी-

एक वाहन कन्टेनर ट्रक संख्या UP21CN4064

कुल 31 राशि जिन्दा गोवंश बरामद

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

उ.नि. अनन्त कुमार भार्गव चौकी प्रभारी लौंदा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

हे0का0 कमलेश पाण्डेय थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

का0 दीपक यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

का0 शैलेन्द्र यादव-2 थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

का0 अनन्त सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

► □ थाना चकरघट्टा पुलिस टीम द्वारा 01 हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को चोरी की मोटरसाईकिल के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांगहे द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक (आपरेशन), अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी नौगढ कृष्णमुरारी शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 18.12.2024 को थानाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद मय हमराह द्वारा मुखबीर की सूचना के आधार पर अभियुक्त दलजीत उर्फ हसनू पुत्र स्व0 अर्जुन निवासी ग्राम औराही थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली को ग्राम औराही से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से बिना नम्बर प्लेट लगी चोरी की एक मोटरसाईकिल सुपर स्पैन्डर जिसका चेचिस न0 MBLJAR032J9E13621 इंजन न0 JA05EGJ9E33136 बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त दलजीत उर्फ हसनू उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0स0 86/2024 धारा 317(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि अभी कुछ दिन पहले ही वह जेल से रिहा होकर बाहर आया है। उसके पास चलने के लिए कोई साधन नहीं था इसलिए उसने दिनांक 11.11.2024 को सोनभद्र, चुरक के ग्राम बबुरी से मोटरसाईकिल चुरा लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दलजीत उर्फ हसनू पुत्र स्व0 अर्जुन निवासी ग्राम औराही थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

अभियुक्त दलजीत का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 10/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली
2. मु0अ0स0 11/19 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली
3. एनसीआर 06/19 धारा 323/504 भा0द0वि0 थाना चकरघट्टा चन्दौली
4. मु0अ0स0 45/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली
5. मु0अ0स0 88/21 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली
6. मु0अ0स0 190/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली
7. मु0अ0स0 13/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नौगढ जनपद चन्दौली
8. मु0अ0स0 27/23 धारा 3/25 आयुध अधि0 व 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना करमा जनपद सोनभद्र
9. मु0अ0स0 86/2024 धारा 317(2) बीएनएस थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण-

सुपर स्पैन्डर मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट चेचिस न0 MBLJAR032J9E13621 इंजन न0 JA05EGJ9E33136

गिरफ्तारी का दिनांक व समय –

दिनांक 18.12.2024 समय 10.00 बजे

गिरफ्तारी का स्थान– ग्राम औराही थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.थानाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद

2.उ0नि0 सुरेश प्रकाश सिंह

3.हे0का0 महेश सेन